



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND

सं०: 197/प्रशा०-II/विविध/ए.जी.यू.के.(ले०एवंहक०)/व्यक्तिगत पत्रावाली/2022-23/101
दिनांक : 31.10.2022

कार्यालय आदेश

समस्त खण्डीय लेखाकार/लेखाधिकारी संवर्ग को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०: 531/xxxi(15)G22/34(सा०)/2017, दिनांक 02.05.2022 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि वह तैनाती के खण्डों में Biometric माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

हस्ता०/-

वरि० उपमहालेखाकार/प्रशा०

सं०: 197/प्रशा०-II/विविध/ए.जी.यू.के.(ले०एवंहक०)/व्यक्तिगत पत्रावाली/2022-23/ दिनांक : 31.10.2022
(577-8)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित-

1. सचिव, महालेखाकार (ले०एवंहक०)उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य अभियंता (अधिष्ठान), कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, "व्यवस्थापन 'ख' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०: 531/xxxi(15)G22/34(सा०)/2017, दिनांक 02.05.2022 की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करे।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसैण, चमौली को उनके पत्रांक 659/4E दिनांक 08.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरि० उपमहालेखाकार (प्रशासन) प्रकोष्ठ स्थानीय
5. आई०टी०एस०जी० अनुभाग को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वे कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट के डी० ए० कॉर्नर पर अपलोडकरना सुनिश्चित करें।


वरि० लेखाधिकारी/प्रशासन-II